

**न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**  
**पीठासीन अधिकारी :- एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 9/2019 (उदयपुर डिक्री)**

1. शान्तिलाल पिता पूर्णचन्द्र जी सहलोत, निवासी सहेली नगर, उदयपुर (राज.)
2. शंभुदत्त मठपाल पिता कृष्णानन्द जी मठपाल, निवासी उदयपुर (राज.)
3. अशोक सिंह पिता हरसुन्दरचन्दा जी, निवासी उदयपुर (राज.)
4. नाहर सिंह पिता मनोहर सिंह जी नलवाया, निवासी डूंगरपुर (राज.)
5. संजय कुमार पिता नाहर सिंह जी नलवाया, निवासी डूंगरपुर (राज.)
6. मिश्रीलाल पिता जसराज जी परिहार, नि. चिरपालिया, तह. मारवाड़, जिला पाली (राज.)
7. ओम प्रकाश पिता पुष्करलाल जी मुथा, निवासी उदयपुर (राज.)
8. सूर्य प्रकाश पिता मोहन सिंह जी वर्डिया, निवासी उदयपुर (राज.)
9. बृजमोहन सेरसिया पिता वीरमदेव जी सेरसिया, निवासी उदयपुर (राज.)
10. भंवरलाल पिता शंकर जी बडोरिया, निवासी कुराबड़, जिला उदयपुर।
11. राजेश पोरवाल पिता श्यामलाल जी पोरवाल, निवासी उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती श्यामा पत्नी अशोक जी मेहता, निवासी उदयपुर (राज.)
13. रमेश चन्द्र पिता नाथूलाल जी गांधी, निवासी उदयपुर (राज.)
14. श्रीमती शारदा पत्नी नारायणलाल जी सुहालका, निवासी उदयपुर (राज.)
15. हुक्मराज पिता हनुमान जी मेहता, निवासी उदयपुर (राज.)
16. श्रीमती पुष्पा पत्नी मनोज जी कोठारी निवासी कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)
17. कांतिलाल पिता अर्जुन लाल जी जैन, निवासी कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)
18. प्रकाश कोठारी पिता मोहनलाल जी कोठारी, निवासी केलवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्तगण

**बनाम**

1. हीरालाल पिता खेमराज जी मेनारिया, निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. बंशीलाल पिता खेमराज जी मेनारिया, निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. हरी नारायण पिता खेमराज जी मेनारिया द्वारा हरीओम विश्रान्ति गृह, पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. मैसर्स क्लासिक ऑटोमोबाईल प्राईवेट लिमिटेड, झामर कोटड़ा रोड़, उदयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बसन्त कुमार बाकोलिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)



5. नरेश चन्द्र पिता डी.के. शर्मा, मैनेजर द्वारा होटल रायल पार्क, लाजपत नगर, नई दिल्ली।
6. मदनलाल विजयवर्गीय, निवासी 186, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती राजकुमारी पत्नी पवन कुमार कोठारी, निवासी 182, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
8. सत्य नारायण पिता शंकरलाल नारायण जी (मृतक) के बजाय :-
  - 8/1. नरनारायण शर्मा पुत्र सत्य नारायण शर्मा, निवासी मकान नंबर 232, सेक्टर नंबर 3, उदयपुर (राज.)
  - 8/2. जितेन्द्र शर्मा पुत्र सत्य नारायण शर्मा, निवासी मकान नंबर 232, सेक्टर नंबर 3, उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती कमला देवी पत्नी बाल मुकुन्द दोषी, उद्यान रोड़, उदयपुर (राज.)
10. गोपाल पिता रूपलाल जी गांधी, निवासी 20, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर (राज.)
11. मनोहरलाल पिता हीरालाल जी मेनारिया, निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती दुर्गा देवी पुत्री हीरालाल जी मेनारिया, निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
13. मुराद खां पिता ईमानुदीन जी अजमेरी (मुसलमान), निवासी 10, किशनपोल, खांजीपीर, उदयपुर (राज.)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान  
काश्त 0 अधि 0-1955 विरुद्ध निर्णय  
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा  
दिनांक 31.08.2010 प्र.सं. 264/02  
---/---

- उपस्थित (वक्तबहस)
1. श्री कैलाश नागदा अभिभाषक अपीलान्तगण
  2. श्री रोशनलाल जैन अभि. रे. सं. 1, 2, 3, 11, 12, 13
  3. श्री सत्य प्रकाश व्यास अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 4
  4. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रेस्पों. सं. 14
- :---

निर्णय

दिनांक 15-12-2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलान्तगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेन्टगण के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा

88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मादड़ी पानेरियान में साबिक आराजी नंबर 844 रकबा 3½ बीघा एवं 845 रकबा 18 बिस्वा किता 2 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26-07-1982 को आराजी नंबर 844 का 2 बीघा 18 बिस्वा एवं 845 का 18 बिस्वा कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि वादीगण को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। आराजी नंबर 844 का मूल रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा था, जिसमें से 15 बिस्वा भूमि सड़क में जाने व पी.डब्ल्यू.डी. के खाते हो जाने से आराजी नंबर 844 का 2 बीघा 18 बिस्वा ही विक्रय पत्र में लिखा गया। बाद में आराजी नंबर 844 की 13 बिस्वा भूमि रेलवे में चली गयी। इस प्रकार मौके पर दोनों आराजी की 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादीगण के आधिपत्य की होकर कच्चे पत्थर की कोट बनी है। वर्तमान अभिलेख में भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी है, जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से भूमि अपने नाम दर्ज करवाने को कहा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 से भूमि क्रय की है। इस पर वादीगण ने जानकारी हासिल की तो पता चला कि दिनांक 28-03-1980 को 18 व्यक्तियों को फ्रेगमेन्ट करते हुए जमीन विक्रय की, जो तत्कालीन समय में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अवैध एवं शून्य था एवं उसके आधार पर जो नामान्तरकरण संख्या 352 फैसल किया गया है, वह भी अवैध एवं शून्य है तथा इसके पश्चात के सभी इन्द्राज जो प्रतिवादीगण के नाम किये गये हैं, वे शून्य हैं। उक्त साबिक आराजी नंबर 844 व 845 के हाल आराजी नंबर 1344 रकबा 0.2900 हैक्टर एवं 1345 रकबा 0.3600 हैक्टर बने हैं, जिसे वादीगण के नाम घोषित किया जाकर दिनांक 28-03-1980 के विक्रय पत्र एवं उसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण शून्य प्रभावी घोषित किये जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 11, 12, 13 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, वह सही है। वादीगण घोषणात्मक वाद नहीं ला सकते, क्योंकि जिन व्यक्तियों के नाम नामान्तरकरण खोला गया है, वह नियमानुसार खोला गया है। वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा दिनांक 26-07-1982 को आराजी नंबर 844 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा एवं 845 रकबा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 से क्रय करना बताया है, जो गलत है। प्रतिवादी संख्या 14 ने दिनांक 06-11-1998 को प्रतिवादी संख्या 3 से उसका 11/363 वां हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से आराजी नंबर 1166 रकबा

0.4300 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1342 रकबा 0.3600 हैक्टर क्य कर कब्जा प्राप्त किया है, तब से उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 14 का कब्जा चला आ रहा है। अतः वाद वादी खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में विक्रय किया जाना स्वीकार नहीं है। दिनांक 26-07-1982 के पूर्व दिनांक 28-03-1980 को विवादित भूमियों का विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा 18 व्यक्तियों के पक्ष में कर दिया गया था, इसलिए उक्त भूमि को दोबारा बेचने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को नहीं है। पश्चातवर्ती विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के हक में किसी प्रकार के अधिकारों को सृजन नहीं होता है। प्रतिवादी उत्तरदाता के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र दिनांक 28-03-1980 आज भी प्रभावशील है एवं वे ही काबिज हैं। वादग्रस्त भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही विचाराधीन रहते हुए निष्पादित विक्रय पत्र की कोई मान्यता नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा दिनांक 28-03-1980 के विक्रय पत्र को शून्य एवं बेअसर घोषित किये जाने का वाद प्रस्तुत किया गया है, जबकि विक्रय पत्र को शून्य एवं बेअसर घोषित किये जाने का क्षेत्राधिकार केवल दीवानी न्यायालय को है, इस सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की जा सकती। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि दिनांक 28-03-1980 के पंजीकृत विक्रय पत्र के बाद दिनांक 26-07-1982 को किये गये विक्रय पत्र का कोई आचित्य नहीं है एवं पश्चातवर्ती विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 4 तनकियात कायम की गयी तथा तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 31-08-2010 से वादीगण का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया गया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त/वादीगण द्वारा अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी है, जो न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय दिनांक 28-11-2018 से प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय दिनांक 28-11-2018 के विरुद्ध रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अपील माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत की गयी, जिस पर

माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 25-02-2019 से प्रकरण पुनः न्यायालय हाजा को सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया।

प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, 2, 3, 11, 12 व 13 की ओर से वकील श्री रोशनलाल जैन उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 की ओर से वकील श्री सत्य प्रकाश व्यास उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 14 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोंडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्तगण, रेस्पोंडेन्ट संख्या 4, रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, 2, 3, 11 व 12 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध है। अपीलान्तगण द्वारा रेस्पोंडेन्टगण की लिखित बहस के रिबिटल में भी लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वक्त बहस वकील अपीलान्त ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने न तो वाद के तथ्यों को सही ढंग से पढ़ा है, न ही शहादत का सही निष्कर्ष निकाला है, न ही वाद में उठाये गये बिन्दुओं को ही तय किया गया है। प्रतिवादी में से केवल प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 11, 12 व 13 तथा प्रतिवादी संख्या 14 एवं प्रतिवादी संख्या 4, 7 व 10 द्वारा ही जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने जमीन दिनांक 28-03-1980 को क्रय करना बताया है एवं वादी के विक्रय को मना किया है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तीन तनकियात गठित की गयी हैं। इस मामले में न्यायालय के समक्ष 2 विक्रय पत्र थे, जिसे देखकर ही उनका निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए था, जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र मौखिक साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित कर दिया है, जो वाद के तथ्यों एवं शहादत के विपरीत है। पूर्व खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम आराजी नंबर 840 से 842 एवं 844 से 849 कुल कित्ता 9 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा थे, जिसमें से प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 28-03-1980 को 2 बीघा 8 बिस्वा जमीन अर्थात् 48/129 वां भाग क्रय किया गया है। पूरे विक्रय पत्र में कहीं पर भी किस आराजी का कितना रकबा विक्रय किया गया है, इसका अंकन नहीं है, मात्र पड़ोसों के बीच भूमि का विक्रय किया जाना अंकित है। स्वयं प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट के गवाहों के बयानों से इनका विक्रय पत्र साबित नहीं हुआ है। एक तो जब विक्रय पत्र लिखा गया तो यह फ्रेगमेन्ट की परिभाषा में आता था, जिससे उक्त विक्रय पत्र कानूनन अवैध था तथा दूसरा इस विक्रय पत्र में विक्रय की गयी सम्पत्ति का कोई आईडेन्टीफिकेशन नहीं होता है, इसलिए भी यह विक्रय पत्र प्रभावहीन है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। वादीगण द्वारा अपने वाद को प्रदर्श करवाया गया है एवं इस बारे में खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई जिरह नहीं की गयी है, ऐसी स्थिति में वादीगण

का विक्रय पत्र साबित है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 का जो निर्णय किया है वह ऐसा लगता है कि सम्पूर्ण 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि के लिए प्रतिवादीगण का विक्रय मानकर किया गया है, जबकि प्रतिवादीगण द्वारा केवल 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि ही क्रय की गयी है एवं आराजी नंबर 844 व 845 को अलग करने से शेष रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा ही बचता है, जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। आराजी नंबर 844 व 845 वादीगण द्वारा क्रय की गयी है एवं कब्जा भी वादीगण का है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 का निर्णय त्रुटि पूर्ण किया गया है। इसी प्रकार तनकी नंबर 2 में भी सिर्फ इतना लिख देना कि दिनांक 28-03-1980 को विक्रय कर दिया गया और वादीगण का विक्रय पश्चातवर्ती होकर अवैध व शून्य है। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन उचित नहीं है, क्योंकि इस सन्दर्भ में विक्रय पत्रों की विधिकता को नहीं देखा गया है। इसी प्रकार तनकी नंबर 3 जो प्रतिवादीगण के भार सिद्ध थी, उसे वादी के भार सिद्ध मानकर जो निर्णय पारित किया है, वह त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा हाल आराजी नंबर 1166 प्रतिवादी संख्या 4 के खाते की जावे तथा आराजी नंबर 1344 व 1345 जिस पर वादीगण का कब्जा है जो रेल्वे के उस पर है, उसका वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट 1, 2, 3, 11 व 12 ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की, जबकि रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 के अधिवक्ता ने अपील स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार का आपत्ति नहीं होने का कथन किया।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 28-03-1980 के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा आराजी नंबर 840 से 842 एवं 844 से 849 कुल कित्ता 9 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि में से 48/129 वां हिस्सा अर्थात् 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय दुर्गा हाउसिंग सोसायटी के 18 लोगों के पक्ष में किया गया है। उक्त विक्रय पत्र के बाद रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 के खाते में 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि शेष रहती है। तत्पश्चात् रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा आराजी नंबर 844 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा एवं आराजी नंबर 845 रकबा 18 बिस्वा कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि, जिसमें से 13 बिस्वा भूमि रेल्वे लाईन में अवाप्त होने के बाद शेष बची 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 26-07-1982 को अपीलान्ट/वादीगण के पक्ष में किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नंबर 842, 844 व 845 से हाल

आराजी नंबर 1166, 1344 व 1345 बनना स्पष्ट है। उक्त दोनों विक्रय पत्रों के बाद रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 अथवा उनके उत्तराधिकारियों उक्त आराजियात में किसी प्रकार के हक अधिकार शेष नहीं रहते हैं, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है एवं मात्र मौखिक बयानों के आधार पर अपीलान्त/वादीगण का वाद खारिज कर दिया है, जो प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31-08-2010 अपास्त की जाती है तथा अपीलान्त/वादीगण को ग्राम मादड़ी पानेरियान में स्थित साबिक आराजी नंबर 844 व 845 से बने हाल आराजी नंबर 1344 रकबा 0.2900 हैक्टर एवं 1345 रकबा 0.3600 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाता है तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे अपीलान्तगण के कब्जे काशत में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15-12-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम. एल. चौहान)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

**डिगरी व सीगे अपील**  
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....  
व इजलास .....एम. एल. चौहान, आर.ए.एस. ....

शान्तिलाल पिता पूर्णचन्द्र जी सहलोट बनाम हीरालाल पिता खेमराज जी मेनारिया  
निवासी सहेली नगर, उदयपुर व अन्य निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील  
गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....9/2019.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....  
.....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....31.....माह.....08.....2010.....

**दावा बाबत**

यह अपील व तारीख.....15.....माह.....12.....सन् 2020 रूबरू.....पक्षकारान  
व हाजरी.....श्री कैलाश चन्द्र नागदा.....मिनजानिब अपीलान्त व.....श्री रोशनलाल जैन.....

.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31-08-2010 अपास्त की जाती है तथा अपीलान्त/वादीगण को ग्राम मादड़ी पानेरियान में स्थित साबिक आराजी नंबर 844 व 845 से बने हाल आराजी नंबर 1344 रकबा 0.2900 हैक्टर एवं 1345 रकबा 0.3600 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाता है तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे अपीलान्तगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिंग.....X.....).....रूपये ..... X.....  
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15.....माह.....12.....2020  
को जारी किया गया।

(एम. एल. चौहान)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

**खर्चा अपील**

अपीलान्त	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... ..			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा .....			2. स्टाम्प अर्जी .....		
3. इजराय हुक्मनामा .....			3. इजराय हुक्मनामा .....		
4. वकील फीस बाबत .....			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान .....			मीजान .....		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।